



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277379
CG-DL-E-23102026-277379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5553]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 5553]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5770(अ).— जबकि मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 152, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में स्थित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स लिमिटेड के 350 मेगावाट सोलर एवं 175 मेगावाट बीईएसएस परियोजना, तुमकुर, कर्नाटक हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में सम्मिलित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए प्राधिकरण प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/38/2026- पावर ग्रिड(एमओपी) दिनांक 28.04.2026 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत, मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स लिमिटेड के 350 मेगावाट सोलर एवं 175 मेगावाट बीईएसएस परियोजना, तुमकुर, कर्नाटक हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में सम्मिलित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है।

मैसर्स एकमे सोलर होलिंग्स लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन योजना के संबंध में आम जनता से प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो माह के भीतर आपत्तियाँ/अवलोकन/अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों The New Indian Express (अंग्रेजी) दिनांक 15.05.2026, Daily Hindi Milap (हिंदी)

दिनांक 15.05.2026, Andhra Jyothi (तेलुगु) दिनांक 15.05.2026, Praja Sakthi (तेलुगु) दिनांक 15.05.2026, Vijayavani (कन्नड़) दिनांक 15.05.2026 तथा Vijayakarnataka (कन्नड़) दिनांक 15.05.2026 में तथा भारत के राजपत्र (Weekly Gazette of India) दिनांक 13.06.2026 में सूचना प्रकाशित की थी। तत्पश्चात्, मेसर्स ACME Solar Holdings Ltd. ने दिनांक 06.10.2026 का शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषित किया गया है कि भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तथा उपर्युक्त समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर मेसर्स GR Infra से एक आपत्ति/अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, उसी का उचित उत्तर दिया गया और उसे बंद कर दिया गया।

और अब आवेदक ने अनुरोध किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियाँ प्रदान की जाएँ, जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण को सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अथवा स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन हेतु टेलीग्राफ लाइनों और खंभों को स्थापित करने के संबंध में प्राप्त हैं, ताकि “मेसर्स एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के 350 मेगावाट सोलर एवं 175 मेगावाट बीईएसएस परियोजना, तुमकुर, कर्नाटक हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के अंतर्गत विद्युत लाइनों का निर्माण किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सम्मिलित है:

- मेसर्स एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड (जनरेशन स्विचयार्ड एटिनाहल्ली गांव, पावागड़ा तहसील, तुमकुर जिला, कर्नाटक में स्थित) – तुमकुर (पावागड़ा) PS (ISTS सबस्टेशन) 220 kV सिंगल सर्किट लाइन (डबल सर्किट टावर पर) [डबल सर्किट टावर के दोनों आर्म्स पर स्ट्रिंगिंग तथा दोनों सिरों पर बंचिंग, ताकि लाइन को दोनों सिरों पर एकल 220 kV लाइन बे में एकीकृत किया जा सके]

उपरोक्त योजना के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित गाँवों, कस्बों एवं शहरों से होकर, उनके ऊपर, आसपास तथा उनके बीच से होकर गुजरेगी:

गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
येट्टिनहल्ली, एटिनाहल्ली/एट्टिनहल्ली, एथिनहल्ली, पोन्नासमुद्र, येरमन्नहल्ली, यरमन्नहल्ली, सूलनायकनहल्ली, सुलनायकनहल्ली, एस.एन. हल्ली, बुद्धारेड्डीहल्ली, बुद्धारेड्डीहल्ली, नीलामनहल्ली, नीलम्नहल्ली, मीनाकुंटेहल्ली, मीनाकुंटेहल्ली, कामनदुर्गा, कामनदुर्गा, रामपेटे, बोम्मगनहल्ली, बोम्मनगट्टीहल्ली, भूपुर, बेट्टडकेलगिनहल्ली, बेट्टडकेलगिनहल्ली, दलावलहल्ली, दलवायिहल्ली, एगुवापल्ली, क्यातगनचेरलु, क्यातगनचेरलु	पावागड़ा	तुमकुर	कर्नाटक
कुराकुलपल्ली, पेड्डाकोंडापुरम, कोंडापुरम, कोंडापुरम, चिन्ना कोंडापुरम, मक्किनावरिपल्ली, मक्किनावरिपल्ली	रामगिरी	श्री सत्य साई	आंध्र प्रदेश

अब, समुचित विचार-विमर्श के पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, मेसर्स एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड को उपर्युक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वे सभी शक्तियाँ प्रदान करता है, जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण को सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अथवा

स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन हेतु टेलीग्राफ लाइनों और खंभों को स्थापित करने के संबंध में प्राप्त हैं, बशर्ते कि उपर्युक्त लाइन की स्थापना निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन की जाए:

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/93/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5770(E).— Whereas M/s ACME Solar Holdings Ltd. having its registered office at Plot No.152, Sector-44, Gurugram, Haryana, 122002, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Solar Holdings Ltd. for its 350 MW Solar and 175 MW BESS Project in Tumkur, Karnataka.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 25-17/38/2026-Power Grid (MoP) dated 28.04.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s ACME Solar Holdings Ltd. for its 350 MW Solar and 175 MW BESS Project in Tumkur, Karnataka.

M/s ACME Solar Holdings Ltd. had published notice for transmission scheme in local newspapers The New Indian Express (in English) dated 15.05.2026, Daily Hindi Milap (in Hindi) dated 15.05.2026, Andhra Jyothi dated 15.05.2026 (in Telugu), Praja Sakthi dated 15.05.2026 (in Telugu), Vijayavani dated 15.05.2026 (in Kannada), Vijayakarnataka dated 15.05.2026 (in Kannada) and in Weekly Gazette of India dated 13.06.2026 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s ACME Solar Holdings Ltd. has submitted an affidavit dated 06.10.2026 declaring that one objection, observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and from the date of Publication in the Newspapers from M/s. GR Infra and same was suitably replied and closed.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electrical lines under the transmission scheme "Transmission system for providing

connectivity to M/s ACME Solar Holdings Ltd. for its 350 MW Solar and 175 MW BESS Project in Tumkur, Karnataka”. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. ACME Solar Holdings Ltd. (Generation Switchyard located at Ettinahalli Village, Pavagada Tehsil, Tumkur District, Karnataka) – Tumkur (Pavagada) PS (ISTS S/s) 220kV S/c line on D/C towers [Stringing of both arms on D/c tower and bunching at both ends to integrate the line in single 220 kV line bay at both ends]

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka and Andhra Pradesh:

Name of Villages	Tehsil/Mandal	District	State
Yettinahalli, Ettinahalli, Ethinahalli, Ponnasamudra, Yerrammanahalli, Yarramanahalli, Soolanayakanahalli, sulanayakanahalli, S.N.Halli, Buddareddyhalli, Buddareddihalli, Neelamanahalli, Neelamanahally, Meenakuntehalli, Meenakuntihalli, Kamanadurga, Kamanadurga, Rampete, Bommaganhalli, Bommanagatihalli, Bhupur, Bettadakelaginahalli, Bettadakelaginahalli, Dalavalhalli, Dalavayihalli, Eguvapalli, Kyataganacherlu, Kyataganacherlu	Pavagada	Tumkur	Karnataka
Kurakulapalli, Peddakondapuram, Kondapuram, Kondapuram, Chinna kondapuram, Makkinavaripalli, Makkinavaripalli	Ramagiri	Sri Satya Sai/Sri Sathya Sai	Andhra Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACME Solar Holdings Ltd. for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector/ Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s ACME Solar Holdings Ltd. shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/93/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)